18

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष–आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1305–तीन/13 विरूद्व आदेश दिनांक 13.2.13 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 599/निगरानी/10–11.

——

गणेश प्रसाद पिता इन्द्रमणि विश्वकर्मा

निवासी ग्राम बडोखर तहसील देवसर

जिला सिंगरौली म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

1– रामलखन पिता वृन्दावन विश्वकर्मा

निवासी ग्राम बडोखर तहसील देवसर

जिला सिंगरौली म0प्र0

2– मध्यप्रदेश शासन

—— अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रामाश्रय शुक्ला

अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री अनूप देव पाण्डे

अना0 क0 2 शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं

आ दे श

(आज दिनांक 6 –11– 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 599/निगरानी/10–11 में पारित आदेश दिनांक 13.2.13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– मेंरे द्वारा विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने गये । आवेदक की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस एवं प्रकरण के अभिलेख का परिशीलन किया गया । प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि आवेदक ने तहसीलदार देवसर को आवेदन दिनांक 25.9.03 प्रस्तुत कर बताया कि उप बंदोवस्त अधिकारी सीधी के प्रकरण क्रमांक 110/अ–1/98–99 में पारित आदेश दिनांक 27.5.99 से ग्राम बरैनिया स्थित भूमि सर्वे न0 936 रकवा 0.08 हैक्टेयर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि कहा गया है) पर उसे भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किये गये थे, किन्तु चूंकि इस आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल नहीं हुआ है, इसलिये अमल किया जावे । तहसीलदार देवसर ने प्रकरण क्रमांक 109/अ–74/02–03 पंजीबद्व कर आदेश दिनांक 27.1.04 पारित किया तथा शासकीय अभिलेख में वादग्रस्त भूमि पर आवेदक के नाम का अमल करने के आदेश दिये । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक–1 रामलखन द्वारा अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली के समक्ष निगरानी क्रमांक 211/10–11 प्रस्तुत की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 22.6.11 से तहसीलदार देवसर का आदेश दिनांक 27.1.04 निरस्त किया गया एवं भूमि पूर्ववत् म0प्र0 शासन के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिए गये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, रीवा, संभाग रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जिस पर दर्ज प्रकरण क्रमांक 599/10–11 में पारित आदेश दिनांक 13.2.13 से निगरानी निरस्त की गई एवं अपर कलेक्टर सिंगरौली का आदेश दिनांक 22.6.2011 यथावत् रखा गया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत हुई है ।

3– नस्ती पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि तहसीलदार देवसर के आदेश दिनांक 27.1.04 के पूर्व शासकीय अभिलेख में मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज चली आ रही थी । प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु यह है कि क्या उप बंदोबस्त अधिकारी सीधी के प्रकरण कमांक 110/अ–1/98–99 में पारित आदेश दिनांक 27.5.99 के दौरान बंदोबस्त के समय रह गई त्रुटि के शुद्वीकरण हेतु तहसीलदार सक्षम अधिकारी है। इस संबंध में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 89 इस प्रकार है :–

धारा–89 गलतियों को ठीक करने की उपखंड अधिकारी की शक्ति उप खण्ड अधिकारी राजस्व सर्वेक्षण बंद हो जाने के पश्चात् तथा बंदोवस्त प्रवधि के दौरान किसी सर्वेक्षण संख्यॉक या खाते के क्षेत्रफल या निधारण में की किसी ऐसी गलती को, जो सर्वेक्षण में हुई भूल या गणना करने में हुई भूल के कारण हुई हो, ठीक कर सकेगा ।

आवेदक ने बंदोबस्त के दौरान हुई भूल को सुधारने के लिये तहसीलदार के समक्ष आवेदन दिया है एवं तहसीलदार देवसर ने प्रकरण कमांक 109/अ–74/02–03 में पारित आदेश दिनांक 27.1.04 से बंदोबस्त की भूल सुधार का आदेश दिया है, जो उपरोक्त के प्रकाश में अधिकारिता–विहीन होने से अकृत एवं शून्यवत है। इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली ने निगरानी प्रकरण कमांक 211/10–11 में पारित आदेश दिनांक 22.6.2011 से तहसीलदार देवसर के आदेश दिनांक 27.1.04 को निरस्त किया है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 13.2.13 में अपर कलेक्टर सिंगरौली के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है । अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 13.2.13 एवं अपर कलेक्टर सिंगरौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.6.2011 में निकाले गये निष्कर्ष समरूप हैं, तथा दोनों न्यायालयों के आदेशों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है । (**न्याय दृष्टांत 1994 राजस्व निर्णय –305 पार्वती देवी विरूद्ध सत्यनारायण माननीय उच्च**

न्यायालय द्वारा यह अभि निर्धारित किया है कि " तथ्यात्मक समवर्ती निष्कर्ष द्वितीय अपीलीय कोर्ट में हस्तक्षेप योग्य नहीं "।)

4– उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 599/निगरानी/10–11 में पारित आदेश दिनांक 13.2.13 विधिवत् पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं पाया जाता है । अतः यह निगरानी अस्वीकार की जाती है ।

प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

पक्षकार सूचित हों

प्रकरण दा0 द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)

सदस्य

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर